

ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल सबधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में महत्व करती है। (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अध्यात वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और वी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सम्मा में अनुमोदित की जानी है। आई.एम.ए. द्वारा मानेंटॉन सहायता प्रदान की जानी है)

- तैयारी की तारीख: ०७/५/२४
ग्राम सम्मा में अनुमोदन की तारीख: ०७/५/२४
वी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख: ०८/५/२४
- ग्राम का नाम: मिठोटी
ग्राम पंचायत का नाम: मिठोटी
लोक का नाम: श्री दगांड
जिला का नाम: बलराम पुर
राज्य का नाम: उ.प.
ग्राम जनगणना कोड: _____

(यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

- ग्राम पंचायत संकल्प
- ग्राम समुदाय की आकांक्षा: ०१ (संख्या) मवेशी कुड़ो को और ०२ (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् १०. घन्टे नियमित गुणवत्ता + वाले..... एल.पी.टी.सी. प्रदान करना हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतर्ग्राम जल आपूर्ति अवसरण के अपनत्व, प्रबंधन, प्रयालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें सदृचित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने गोठे पानी को बचाएंगे।
यह संकल्प लिया जाता है कि पूजी लागत का १०%, प्रयालन और रख-रखाव लागत के परिमिति हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।
- ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अध्यात वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण
- कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रयालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी? (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): पैम खंडल छन रष्ट्रकृति लोकोपकारी
समिति को क्या कहा जाता है: पैम खंडल छन रष्ट्रकृति लोकोपकारी मिठोटी
अध्यक्ष का नाम: राम नरेंद्र योद्धा
तिथि: पु.स्व.
आयु: _____

सदस्य का नाम

लिंग

आवृ

पंचायतीय विधायक समिकारी
पंचायतीय विधायक समिकारी



III. सामाजिक विवरण

6.

| | |
|--------------------------|------|
| 2011 के जनगणना के अनुसार | |
| जनसंख्या | 1212 |
| परिवारों की संख्या | 192 |
| महिलाओं की संख्या | 567 |
| पुरुषों की संख्या | 645 |
| बच्चों की संख्या | 237 |
| एफ.एच.टी.सी. की संख्या: | |

| | |
|--|------|
| वर्तमान पश्चायता भागनवाड़ी रिकॉर्ड के अनुसार | |
| वर्तमान जनसंख्या | 1333 |
| परिवारों की संख्या | 211 |
| महिलाओं की संख्या | 623 |
| पुरुषों की संख्या | 709 |
| बच्चों की संख्या | 260 |
| एफ.एच.टी.सी. की संख्या: | |

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): _____ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अन्तिम चरण -वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): _____ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान संवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): _____

9. कृषि फसल पैटन: _____

| प्रमुख फसल | खरीफ | रबी |
|------------|------|-----|
| गन्ना | | ✓ |
| धन | ✓ | |
| मक्का | | |
| कपास | | |
| गेहूँ | | ✓ |
| अन्य | | |

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): _____

11. स्थलांकति (समतल, ढलान, आदि): _____

IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानविकण किया गया है? (हैं / नहीं)
(‘याम कार्य योजना’ के साथ मानविक सलग्न करें)

13. क्या सामाजिक मानविकण किया गया है? (हैं / नहीं)
(‘याम कार्य योजना’ के साथ मानविक सलग्न करें)

| क्र. सं. | सार्वजनिक संस्था का नाम | क्या एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध है? (हाँ/नहीं) | क्या उसे जल संवर्धन संरचना उपलब्ध है? (हाँ/नहीं) | सौदा गढ़ी की उपलब्धता? (हाँ/नहीं) |
|----------|-------------------------|---|--|-----------------------------------|
| 1. | स्कूल | 18 | 1 | 1 |
| 2. | आगनवाड़ी | 18 | 1 | 1 |
| 3. | स्वास्थ्य बेंद्र | 18 | 1 | 1 |
| 4. | याम पश्चायत मालवन | 18 | 1 | 1 |
| 5. | मन्दि | 18 | 1 | 1 |

मन्दि/याम विकास अभियान
प्रमाण पत्र- 121214
प्रमाण पत्र संख्या- 121214



पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की दोगांन आवश्यकता - जनसंख्या X दर 295.39 के एवं वे मर्वेशीयों के लिए पानी की दोगांन आवश्यकता 9.41 के एवं वे मर्वेशी की आवश्यक संख्या माध्यवर्ती घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर 349.56 के एवं वे अंतिम घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर 349.91 के एवं वे.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त गुणा/अक्षम/ग्रन्थातारावाह या विवरी अन्य प्राकृतिक आवश्यक विषयों की सामान्य प्रवृत्ति: नहीं पचाई टुकड़ी भल भौजदार / नल छांडा लव तुरी
17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टकिया, रेल गाड़ियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति:
18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आशिक कार्य स्रोत को गजबूत करने का इतिवृत्त लारीदें:
19. जल जनित रीतों का इतिवृत्त: निकट, गांधी, बुखार, डामरिया, पीलिया पानी की गुणवत्ता
20. पीलड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुद्राय के साथ जल गुणवत्ता की चौकटी के लिए अभिनियंत्रित तारीख:
21. सैनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनियंत्रित तारीख:
22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति):

| मापदंड | तरीका | परिणाम |
|-------------------------|--------------------|--------|
| गढ़नी | इश्य तुलना | 1.06 |
| पीएच | पही रंग तुलना | 2.04 |
| पूर्ण लवणता | टिट्रिमेट्रिक विधि | 2.76 |
| पूर्ण क्षारीयता | टिट्रिमेट्रिक विधि | 3.29 |
| कलोराइड | टिट्रिमेट्रिक विधि | 17.02 |
| अमोनिया | इश्य रंग तुलना | |
| फास्फेट | इश्य रंग तुलना | |
| अवशिष्ट बलोंरीन | इश्य रंग तुलना | |
| आयरन | इश्य रंग तुलना | |
| नाइट्रोट | इश्य रंग तुलना | |
| फलोराइड | इश्य रंग तुलना | |
| आर्सेनिक (हॉटस्पॉट में) | इश्य रंग तुलना | |

कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान

23. यह समाविता है कि गाँव के कुछ गरीब इतावों में कपड़े धोने के लिए और या नल क्लोकरन के लिए पर्याप्त जल न हो: ऐसे अभिनियंत्रित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाते हैं:

अवस्थिति का नाम

पर्ते की संख्या

निम्न लिखित अधिकारी
द्वारा पात्रता: 121212
प्राप्ति का नाम: _____



वीत स्थापित

24. भूजल सोत के मामले में, क्या बोरोवेल रियाज़े सरचना है? (ही/नहीं)
25. गोव में उन भौजूदा जल मावारी की सूची जिनका कारबाहन्या/मरम्मत कराये किया जाना आवश्यक है गंदने जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): १३३.०० करोड़.मी.

भूजग-भूलग सोखता गंदलों वाले परिवारों की संख्या: १३

उन परिवारों की संख्या जिन्हे सोखता गंदलों की आवश्यकता है: २६

आवश्यक सामुदायिक सोखता गंदलों की संख्या: _____

क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (ही/नहीं): नहीं

यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिधारित किया गया है: नहीं

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के बोने से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए? _____

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एक.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम और तक पहुंच के लिए पूर्ववती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी., के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेटोफिटिंग
- पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेटोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जलसिंग वाटर/स्थानीय या प्रारातीय जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- वाटर यिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एस.वी.एस.
- मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं

28. अभिनिधारित जल सोत: भौजूदा भर्व कर्मचारी टूले तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक संव्यवस्था के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: की पर्याप्त पूर्यापूर्त होनी चाही

इस योजना के लिए अभिनिधारित भूमि: द्युष्णा पंचाशत लोकांका

वह तारोंवाला, जिस पर यह भूमि पी.एच.टी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: _____

योजना की लागत: _____ भारत सरकार का हिस्सा: ५७%, राज्य का हिस्सा: ५०%,

समुदाय का हिस्सा: १०%, व्यक्तिगत घरेलू भूमिका जल शुल्क: _____ व्यक्तिगत घरेलू भूमिका

प्रयोक्ता शुल्क: _____ कोई दूरस्थ बसावट ही तो, अभिनिधारित पी.डब्ल्यू.एस.: _____

VI. मेन-जोन

(निम्नलिखित तालिका में उन सम्भावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि जिपि मेन-जोन संभव है। याम समुदाय द्वारा याम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिधारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

| योजना का नाम | केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग | संभावित गतिविधियों जो शुरू की जा सकती हैं | प्रस्तावित नियम |
|--|--|--|-----------------|
| चीड़का कित्ता आवधान | याम पर्याप्ता | वै-वाटर फ्लोवरमेंट, फ्लोज रिस्ट्रम आदि। | |
| स्वच्छ भारत योजना - यामीण (एस.वी.एस.टी.) | पर्याप्त और स्वच्छता विभाग, जल संवर्तन विभाग | वै-वाटर मेनेजमेंट सीमित गहराई (व्यक्तिगत / सामुदायिक), अवशिष्ट तलछट तालाब आदि। | |
| एस.वी.एस.टी.एस. | सामुदायिक विकास विभाग | प्राकृतिक विद्युत विद्युत-संस्करण (एस.वी.एस.टी.एस.) | |

पंचियत/पाल किंवद्दन अधिकारी
7/12/20

| योजना का नाम | केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग | समाजित गतिविधियों जो गुरु की जा सकती हैं | प्रस्तुतित शिक्षा |
|---|---|---|-------------------|
| एवीडूट वाटरशेड परियोजना (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) | भूमि संरक्षण विभाग | वाटरशेड परियोजना और बृहदिम पुनर्जीवन, जल निकायों का नियोग वृद्धि आदि। | १८६ |
| जल भूमियों की सम्पर्क, नियोजितरण और जीणीद्वारा | जल संरक्षण, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग | बड़े जल भूमियों का नियोग | १ |
| राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाइ.) | कृषि, सहकारिता और विनियान कल्याण | वाटरशेड से सम्बंधित कार्य | १८७ |
| प्रधानमंत्री कृषि सियाई योजना (पी.एम.के.एस.वाइ.) | कृषि, सहकारिता और विनियान कल्याण मंत्रालय | जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूखम-सियाई का प्रावधान, एकत्रीकरण से जल की निकासी को कम करने के लिए बनीकरण, वन परिवर्त्यितीकरण का फूर्जनन, वॉटरशेड विकास, आदि। | K |
| क्षतिपूरक बनीकरण कोष प्रधानमंत्री एवं आयोजना प्राधिकरण | पर्यावरण, वन और जलवयु परिवर्तन मंत्रालय | बड़े जल भूमियों का नियोग वन परिवर्त्यितीकरण का फूर्जनन, वॉटरशेड विकास, आदि। | १८८ |
| प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाइ.) | कौशल विकास और उद्योगिता मंत्रालय | आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मालाद संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि | १ |
| समय शिक्षा | मानव संसाधन विकास मंत्रालय | सूखों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान | १८९ |
| अवकाशी जिला कार्यक्रम | नीति आयोग | जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन नियियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियों | K |
| जिला छनिज विकास नियिय (डी.एम.ए.जे.) | राज्य | बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियों | १९० |
| एम.पी.एल.ए.डी. | साडियों और कर्यालय मंत्रालय (एमउएपसपीआई) | अंतर्याम अवसरणना | A |
| एम.ए.ए.ए.ए.ए.डी. | राज्य | अंतर्याम अवसरणना | |
| सविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.) | जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य | अंतर्याम अवसरणना | |
| द्रष्टव्यानायिक | | | |

गोपनीय/गायत्री विकास नियिकारी
४३८ गोपनीय १२/१८



अध्यक्ष का हस्ताक्षर

वी.एच.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर :

आई.एस.ए. परिसेन्योपी का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो) : Brij Bhushan Yadav

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी.एनी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष पंचायत संघिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. प्रिया - पत्नी - ३०११५००८ - ९६३०४११६८०
2. कुमारी - पत्नी - फैलो टुम्हा - ९६४८०५९०८५
3. मिला - पत्नी - रामलेख - ७३०९६५०९५१
4. उमिला - पत्नी - अमरनाथ - ७३९३०५४५८९
5. विमला - पत्नी - उमरचन्द - ८५९५५७५३६७

पप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर: डोमेन शार्ट - पिंड - राम - रेशा गाँव - ९३६९७७८३१५

सचिव/ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत - २१२८
जिला: निरन्तर (राजस्थान)